उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, 10 माल एवेन्यू, लखनऊ।

परिपत्र संख्या- सी- 27 /तक0प्रकोष्ठ/2017-18 दिनांक : 16-6-2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषय- डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डी0ई0डी0एस0) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए योजना जारी रखने के सम्बन्ध में।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0 सी-106/तक0प्रकोष्ठ/16-17 दिनांक 23.01.17 का संदर्भ ग्रहण करें, जो नाबार्ड के सन्दर्भ संख्या रावै(डी0ओ0आर0) जी0एस0एस0/763/ डी0ई0डी0एस0-1/2017-18 दिनांक 26.05.17 परिपत्र सं0 132/ डी0ओ0आर0-29/2017 के क्रम में है, के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डी0ई0डी0एस0) जारी रहेगी। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में रूपये 240 करोड़ का प्रावधान किया है। राज्य-वार बजट आवंटन अनुबन्ध-1 में दिये गये हैं। तथापि, योजना के 1 से 3 घटकों के लिए सूखा, बाढ़, नक्सल और आतंकवाद से ग्रस्त जिलों के किसानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समूह मोड में कार्यरत क्लस्टर/स्वयं-सहायता समूहों की महिलाओं, सहकारी संस्थाओं और प्रसंस्करण, मूल्य सवंर्धन और क्लस्टर मोड में दुग्ध उत्पादन के विपणन सम्बन्धी योजना में ऋण वितरण में प्राथमिकता दी जाये।

वर्ष 2017-18 के लिए यह योजना अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2017 तक खुली रहेगी। बैंक के स्तर पर इस अवधि के दौरान बैंक के स्तर पर (डी0ई0डी0एस0 के अधीन) लाभार्थियों से प्राप्त होने वाले (बाद में स्वीकृत किये गये) ऋण आवेदन योजना के अधीन पात्र होंगे और निधियों की उपलब्धता के आधार पर योजना के अधीन सब्सिडी जारी की जायेगी।

प्रशासनिक अनुमोदन के अनुबन्ध में दिये गये योजना के मार्गनिर्देशों के अन्य पक्षों का पालन करना होगा। सम्बन्धित प्रपत्र परिपत्र के साथ संलग्न हैं। उक्त अवधि के दौरान लाभार्थियों द्वारा प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर वितरित ऋण प्रकरणों में उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार ऋण वितरित करते हुए शाखा प्रबन्धक अपने स्तर से अनुदान हेतु प्रस्ताव को भली-भॉति जॉचकर नियमानुसार प्रधान कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

16/6/17

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त जनपदीय प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि प्रपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखा प्रबन्धकों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. उप महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल), प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को ई-मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।

16/6/17

(अजयपाल सिंह)
महाप्रबन्धक(तक0)